1/21828/2023





भारत सरकार **Government of India** खान मंत्रालय **Ministry of Mines** भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines Mine Code: 38RAJ09006

माखुपुरा औद्यौगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area, अजमेर -305002(राजस्थान) Ajmer-305002 (Rajasthan)

दिनांक: 14.12.2023

. संख्या:E/7699/MCDR-MiFLOLST/31/2023-AJM-IBM_RO_AJM

प्रेषित: खान एजेंट, आदित्य चूना पत्थर खान, मेसर्स अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड,

पोस्ट ऑफिस-आदित्यप्रम, जिला- चित्तोडगढ़ (राजस्थान) 313 021

Email: vijaykumar.mali@adityabirla.com

विषय:Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Aditya **Limestone Mine** (Lease area 760.692 Hect., ML No. 24/92) situated in Chittorgarh District of State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 21.10.2023 & 22.10.2023 by the undersigned in presence of Sh.

Rule	Nature of violation observed in detail
No.	
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved
	Modification in Review of Mining Plan (Approved on 12.04.2022): -
	1) During the year 2022-23 in Pit No. 2(West), mine development between grid 2736130N to
	2736265N & 459450E to 459725E has been carried out which was not proposed in the year
	2022-23.(Refer Plate no. 5A, Production & development Plan 2022-23 of approved
	Modification in RMP)
	2) Mineral Stacking was observed between Pit No. 2(West) & Pit No.3 which was not
	proposed in approved modification of review of mining plan.
	3) Retaining wall during the year 2022-23 has not been made on proposed location.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03.अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर) उप खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित: -

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, चित्तोडगढ़ ।
- 4. रक्षित पत्रावली ।